



87

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. 4118-11/2015 पुर्नविलोकन

जे 221 - II-16
जे 221 9285 - II-16

रामाश्रय शर्मा तनय श्री रामजी शर्मा, पेशा कृषि
व वकालत निवासी म.न. 11/133 तिलक नगर
रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) ————— आवेदक

श्री दुष्पन्त कुमार सिंह-15
द्वारा आज दि. 9/12/16 को
प्रस्तुत

कलक ऑफिस/2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

736
9.12.16

बनाम

- 1- श्रीमती विधावती पत्नी श्री रामलखन मिश्रा,
- 2- प्रमोद कुमार तनय रामागोविन्द मिश्रा
दोनो निवासी ग्राम गौरी, तहसील हनुमना, जिला
रीवा (म.प्र.)
- 3- के.पी.मिश्रा तनय कमला प्रसाद मिश्रा निवासी
ग्राम गजरहा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)
- 4- श्रीमती सोनिया कुशवाहा पत्नी श्री राजभान
कुशवाहा निवासी ग्राम चिरकिटिहा, तहसील
हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) ————— अनावेदकगण

दुष्पन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
रा.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

आवेदन-पत्र वास्ते प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने वावत

माननीय,

आवेदक का रेस्टोरेशन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है:-


- 1- यहकि, आवेदक ने माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 3649-111/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-12-2015 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुर्नविलोकन आवेदन-पत्र दिनांक 28-12-2015 को प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्रमांक 4118-11/2015 पर दर्ज किया गया।

R/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 9285-दो/2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-2016	<p>आवेदक की ओर श्री डी0एस0 चौहान अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा यह रेस्टो0 आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसपर उनके तर्क श्रवण किये गये। विचारोपरात आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर रिव्यू प्रकरण क्रमांक 4118-दो/15 पुनः नम्बर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

2
18